किशोरी शक्ति योजना एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की किशोरियों में निर्णय लेने की क्षमता में कल्याणकारी कार्यक्रमों का योगदान (उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सन्दर्भ में)

सविता
शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ.

Received: August 23, 2018 Accepted: October 17, 2018

ABSTRACT *यह शोध उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों किशोरी शक्ति योजना एवं कस्तूरबा गांधी योजना में नामांकित किशोरियों में किशोरी सशक्तिकरण के सन्दर्भ में निर्णय लेने की क्षमता के आकलन से सम्बन्धित है। सशक्तिकरण आत्मजागृति कि वह प्रक्रिया है जो मानवीय विकास के सभी भागों का विकास करती है ताकि सही कार्य करने एवं निर्णय लेने कि योग्यता विकसित की जा सके। इस अध्ययन का यह उद्देश्य है कि किशोरियां महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं निर्णय ले सकती है, वे नौकरी शिक्षा से सम्बन्धित निर्णय स्वंय ले सकती है, वे अपने धन को खर्च करने का निर्णय स्वंय लेती है आदि। इस अध्ययन की शोध प्रविधि के लिए शोधार्थी द्वारा सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का चयन करते हुये निदर्शन संख्या और शोध क्षेत्र का चुनाव किया गया है। 200 किशोरियों (उम्र 11–19 वर्ष) का चुनाव दोनों योजनाओं से सम्मिलित रूप से किया गया। आकड़ों का संकलन एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेन्ट स्केल द्वारा एवं सूचनाओं के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधि अपनायी गयी है।*

Keywords: ***किशोरी सशक्तिकरण, कल्याणकारी योजनाएं, निर्णय प्रक्रिया***

प्रस्तावनाः– किशोरियां इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है वह ही भविष्य की भावी माता व गृहणी हैं इसलिए किशोरावस्था से ही उनमें ऐसे गुणों को विकास करना चाहिए जिससे वह अपने भविष्य से सम्बन्धित सही निर्णय स्वयं ले सके। उन्हें सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाय ताकि वह आगे चलकर एक सशक्त महिला बन सके और एक सुखी स्वास्थ्य सम्पन्न परिवार और समाज का निर्माण कर सके। महिला एवं बालिका कल्याण की दृष्टि से काफी कुछ किया गया है परन्तु अभी भी इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है यद्यपि इन सब प्रयत्नों का उद्देश्य यही रहा है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में उन्नति हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में वे पूरूषों के समकक्ष हो और विकास कार्यो में भी सक्रिय रूप से भागीदार बनें। महिलाओं की स्थिति को सुधारने में शिक्षा सुविधाओं ने विशेष योगदान दिया है, शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास से युक्त आर्थिक स्वालंबन की क्षमता और परंपरागत स्थिति को परिवर्तित करने में योग देती है।

किशोरियां हमारी इस आधी आबादी का हिस्सा है और इनकी स्थिति में बदलाव लाना अतिआवश्यक है। भेद का दंश झेलते हर वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा इसके साथ ही समाज के इस मूलभूत ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा। आज भी समाज में किशोरियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और न उन्हें जमीन–जायदात सम्बन्धी अधिकार दिये जाते है, पारिवारिक निर्णयों में आज भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता, आज भी बहुत सी किशोरियां उच्च स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती है। अज्ञान, अधंविश्वास और परम्परा के नाम पर प्रभुत्व स्थापना की चाह के कारण अभी भी भारतीय समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला है।

इन्ही असमानताओं को दूर करने के लिए ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों महिलाओं और लड़कियों के उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चला रहीं हैं। किशोरियों को जागरूक करके उनको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी साधनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग और समर्थ है तभी वह अपने भविष्य से सम्बन्धित कोई भी निर्णय ले सकता है इसलिए इन योजनाओं में उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जाती है जिससे वह अपना आत्मविकास कर सके। किशोरियों को शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक देश, समाज व सरकार की जिम्मेदारी है। इस आयु में दिया जाने वाला मार्गदर्शन ही सारी उम्र उसके व्यक्तित्व विकास व क्षमताओं पर प्रभाव डालता है। किशोरियां पायें स्वास्थ्य और शिक्षा, तभी बनेगा राष्ट्र भी अच्छा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने किशोरियों को सशक्त करने के लिए कुछ योजनाएं चलायी है।

किशोरी शक्ति योजनाः– यह पूर्णतः केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण सम्बन्धी रक्ताल्पता को कम करना, उनके शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरूक करना तथा बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान जागृत करना है। इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी, जो विद्यालय छोड़ चुकी हो, उनका परिवार गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हो, शारीरिक रूप से दुर्बल हो, का आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण करके प्रत्येक विकास खण्ड में 60 बालिकाओं को चयनित कर 30–30 के दो समूहों में 03 दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण तथा 60 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर इन किशोरियों से पोषाहार वितरण में सहायता भी ली जाती है। प्रत्येक विकास खण्ड में रू0 1 लाख 10 हजार का व्यय इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है। प्रत्येक किशोरी के प्रशिक्षण पर रू0 1833.00 के व्यय का प्रावधान है। वर्तमान में किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 50 जनपदों में संचालित कराये जाने के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं। इन जनपदों मे 602 परियोजनाएं इस योजना से आच्छादित की जायेंगी।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना –: भारत सरकार ने देश के दूर–दराज में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ेवर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय (ठहरने की सुविधा सहित) खोलने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत की है। यह नई योजना, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाएँ जैसे : सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा महिला समाख्या के साथ मिलकर कार्य करेंगी।

महिला कल्याण की दृष्टि से सरकार द्वारा काफी कुछ किया गया है इस सब प्रयत्नों का उद्देश्य यही रहा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में उन्नति हो जीवन के सभी क्षेत्रों में वे पुरूषों क समकक्ष हो और विकास कार्यों में भी सक्रिय रूप से भागीदार बने महिलाओं की स्थिति सुधारने मे शिक्षा सुविधाओं ने विशेष योगदान दिया है शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास से युक्त आर्थिक स्वालम्बन की क्षमता और परम्परागत स्थिति को परिवर्तित करने में योगदान करती है।

उद्देश्य

1. किशोरियां महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं निर्णय ले सकती है।
2. वे नौकरी शिक्षा विवाह से सम्बन्धित निर्णय स्वयं ले सकती है।
3. वे अपने धन को खर्च करने का निर्णय स्वयं ले सकती है।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले में किया गया है और यह अध्ययन किशोरी शक्ति योजना एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की किशोरियों में निर्णय लेने की क्षमता में कल्याणकारी कार्यक्रमों का योगदान पर आधारित है। जिनमें उन किशोरियों को सम्मिलित किया गया है जो इन योजनाओं में नामांकित है, विशेषकर दो योजनाओं का चुनाव किया गया है– 1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2. किशोरी शक्ति योजना। दोनों योजनाओं से 200 किशोरियों का चयन किया गया है। अध्ययन में 'वर्णनात्मक' अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया गया है इसके लिए 11 से 18 वर्ष की 200 उत्तरदाता किशोरियों का चयन किया गया है जो कि इन दोनों योजनाओं में नामांकित है। इस अध्ययन में स्ट्रटी फाइड प्री–टेस्टेड Adolescent Girl Empowerment Scale का प्रयोग किया गया है। इन सम्बन्धित 7 कथन है जिन पर किशोरियों की प्रतिक्रिया ली गयी है। इसके लिए 5 विकल्प निर्धारित है जिनके आधार पर इसका मूल्यांकन (Scoring) किया गया है। इसी के आधार पर किशोरियों में सशक्तिकरण के उच्च, मध्यम, और निम्न स्तर का मापन किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतो का प्रयोग करते हुये शोध से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की गयी है, आंकडों का संग्रहण (विश्लेषण) सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञात किया गया है।

प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों का सारणीकरण किया गया है निर्णय प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न कथनों को सारणी संख्या 1.1 से 1.7 तक दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.1 निर्णय प्रक्रिया

घर के महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णयों में मेरी भागीदारी रहती है।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	33	16.5%
2.असहमत	31	15.5%
3. न सहमत न असहमत	21	10.5%
4. सहमत	80	40.0%
5 पूर्ण सहमत	35	17.5%

जिलें में इन योजनाओं में नामांकित 40 प्रतिशत किशोरियां इस बात से सहमत है कि घर के महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णयों में उनकी भागीदारी रहती है जबकि 10.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर न सहमति न असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.2 निर्णय प्रकिया

मुझे जो जेब खर्च मिलता है उसे किस तरह उपयोग करना है उस पर मैं स्वयं निर्णय लेती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	6	3.0%
2.असहमत	4	2.0%
3 न सहमत न असहमत	5	2.5%
4.सहमत	34	17.0%
5 पूर्ण सहमत	151	75.5%

इस सारणी में 75.5 प्रतिशत किशोरियों ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि उन्हें जो जेब खर्च मिलता है उसे किस तरह से उपयोग करना है इसका निर्णय वह स्वयं करती है तथा 2 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर असहमति व्यक्त की है।

सारणी संख्या 1.3 निर्णय प्रक्रिया

मैं अपने भविष्य में जैसे– पढ़ाई, नौकरी व शादी के बारे में निर्णय लेने को स्वतंत्र हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	22	11%
2.असहमत	51	25.5%
3 न सहमत न असहमत	21	10.5%
4. सहमत	56	28%
5 पूर्ण सहमत	50	25%

इस सारणी में 28 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे जैसे पढ़ाई, शादी एवं नौकरी के बारे में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है जबकि 10.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर न सहमति न असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.4 निर्णय प्रक्रिया

अगर कहीं डॉक्टर के पास उपचार हेतु जाना पड़े तो उसका निर्णय स्वयं लेती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	20	10.0%
2.असहमत	57	28.5%
3 न सहमत न असहमत	33	16.5%
4.सहमत	49	24.5%
5 पूर्ण सहमत	41	20.5%

इन योजनाओं में नामांकित 28.5 प्रतिशत किशोरियां इस कथन पर असहमत है कि यदि उन्हें उपचार हेतु डाक्टर के पास जाना पड़े तो उसका निर्णय वह स्वयं लेती है। जबकि 10 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की है।

सारणी संख्या 1.5 निर्णय प्रक्रिया

स्वयं के पैसों को कैसे खर्च करना है उसका निर्णय स्वयं लेती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	5	2.5%
2. असहमत	13	6.5%
3 न सहमत न असहमत	10	5.0%
4. सहमत	38	19.0%
5. पूर्ण सहमत	134	67.0%

इस सारणी में 67 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि उन्हें स्वयं के पैसों को कैसे खर्च करना है उसका निर्णय स्वयं लेती है। वहीं 2.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.6 निर्णय प्रक्रिया

स्वंय की आय व खर्चे पर नियन्त्रण स्वयं करती हूँ।	**उत्तरदाता=200**	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	21	10.5%
2. असहमत	22	11.0%
3 न सहमत न असहमत	21	10.5%
4. सहमत	42	21.0%
5 पूर्ण सहमत	94	47.0%

इस सारणी में 47 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि वह स्वंय की आय व खर्चे पर नियन्त्रण स्वयं करती हैं जबकि 10.5 प्रतिशत ने इस कथन पर पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.7 निर्णय प्रक्रिया

जब भी कोई घटना घटती है और अन्य पारिवारिक सदस्य निर्णय लेने योग्य नहीं होते है तो मैं स्वयं निर्णय लेती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	18	9.0%
2. असहमत	25	12.5%
3 न सहमत न असहमत	22	11.0%
4. सहमत	85	42.5%
5 पूर्ण सहमत	50	25.0%

इस सारणी में 42.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि जब भी कोई घटना घटती है और अन्य पारिवारिक सदस्य निर्णय लेने योग्य नहीं होते है तो मैं स्वयं निर्णय लेती हूँ। वहीं 9 प्रतिशत ने इस कथन पर पूर्ण असहमति व्यक्त की है।

उपसंहार–: सरकार द्वारा क्रियान्वित किशोरी शक्ति योजना व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में सम्मिलित किशोरियों की जब निर्णय क्षमता को देखा गया तो यह पाया गया कि किशोरियां अपने घर के महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णयों में भागीदारी करती है परिवार द्वारा मिलने वाले जेब खर्च को कैसे खर्च करना इस पर निर्णय पूर्णतया उन्हीं को होता है किशोरियां अपने भविष्य से सम्बन्धित निर्णय जैसे पढ़ाई नौकरी शादी से सम्बन्धित निर्णय लेने के मामलों में अपनी सहमति व्यक्त की है पर इस पर उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त नहीं की है। स्वयं के पैसों को खर्च करने का निर्णय एवं स्वयं के पैसों पर नियन्त्रण स्वयं रखती है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि यदि परिवार में कोई व्यक्ति निर्णय लेने योग्य नहीं है तो किशोरियां अपनी आयु एवं बौद्धिक क्षमता के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखती है । इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि किशोरियों की आयु भी उनकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। क्योंकि इस अध्ययन में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं का चयन किया गया है 11 से 14 वर्ष की किशोरियों में निर्णय क्षमता का स्तर मध्यम है तथा 15 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों की निर्णय क्षमता उच्च स्तर की है इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी किशोरी की निर्णय क्षमता निम्न स्तर की नहीं है। जो इन योजनाओं की सफलता का द्योतक है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष आया कि यदि किशोरियों में बौद्विक क्षमता को बढ़ाया जाय और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाय तो वह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में सही निर्णय ले सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ए. सिंह और सिसोदिया डी एस : एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेन्ट स्केल (मैन्युल)
2. ओलाडिपो एस. ई –साइकोलॉजिकल इम्पावरमेन्ट एन्ड डेवलपमेन्ट
3. चन्द्रा आर. – वुमेन इम्पावरमेन्ट इन इण्डिया माइलस्टोन्स एण्ड चैलेन्जर्स
4. चैतन्य प्रकाश, सबके लिए शिक्षा – योजना, सितम्बर 2013 नई सदी की शिक्षा। पृ0सं0 15।
5. डब्लू. निक.इन/स्कीम सबला.एचटीएम
6. डब्लू. डब्लू. डब्लू.भारत.जीवोओ.इन
7. डब्लू. डब्लू. डब्लू.यूपी.जीवोओ.इन
8. हालैण्ड एस आर इट ऑल : उमंग फॉर दा फ्यूचर : कम्यूनिटी–बेस्ड स्ट्रैटीजीस टू एड्रेस एडोलेसेन्ट एनेमिया इन उत्तर प्रदेश, यूनीसेफ।
9. करूना 2012– इम्पावरिंग एडोलसेन्ट गर्ल्स
10. कुरूक्षेत्र पत्रिका 2006
11. मासेडले एसः पॉलिसी ऐरेना– असेसिंग वुमेन इम्पावरमेन्ट टू वाड्स ऐ कनसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जर्नल ऑफ इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट जे. इन्ट. डेव. 17, 243–257 (2005)
12. प्लानिंग कमीशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया : रिपोर्ट आफ इण्डिया द वर्किंग ग्रुप ऑन एडोल्सेन्ट फार द टेन्थ फाइव इयर प्लान
13. योजना पत्रिका 2010
14. सुषमा के.– एडोल्सेन्ट हेल्थ प्रोग्राम्स इन इण्डिया
15. श्रीवास्तव डी. एन. वर्मा पी. – बाल मनोविज्ञान : बाल विकास 14वां संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर
16. सेन आर : एजूकेशन फॉर इम्पावरमेन्टः एन इवाल्यूवेशन ऑफ दा गर्वनमेन्ट रन स्कीम टू एजूकेट दा गर्ल्स चाइल्ड।
17. सुगना एस : एजूकेशन एण्ड वूमेन इम्पावरमेन्ट इन इण्डिया। जेन्थ इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसपिल्नरी रिसर्च वाल्यूम. 1 इश्यू 8, दिसम्बर 2011।
18. शाह, पायल पी : सिचुयेटिंग इम्पावरमेन्टः गर्ल्स एजूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट इन गुजरात।